

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 263

उत्तर देने की तारीख- 21/07/2026

सार्वजनिक परीक्षाओं को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना

†263. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

श्री प्रवीण पटेल:

श्री जनार्दन मिश्रा:

श्री बलभद्र माझी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों को दिए गए लाभों सहित सार्वजनिक भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजनों के लिए सुलभता और तर्कसंगत अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या लिपिकों, सहायक प्रौद्योगिकियों और परीक्षा अनुकूलन के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, यदि हां, तो नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भर्ती एजेंसियों और परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा ऐसे दिशानिर्देशों का समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(घ) अनुपालन की निगरानी करने और दिव्यांग उम्मीदवारों की शिकायतों का निवारण करने तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित प्राप्त और निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षाओं के आयोजन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 29.08.2018 के दिशानिर्देश तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 10.08.2022 के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखक (स्क्राइब)

की सुविधा, प्रतिपूरक समय, सहायक उपकरणों के उपयोग, सुगम परीक्षा केंद्रों तथा अन्य युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। ये दिशानिर्देश नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में समान रूप से लागू हैं।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन संबंधी संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 01.08.2025 को जारी किए थे। तथापि, दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं के समाधान हेतु विभाग ने उक्त संशोधित दिशानिर्देशों को 31.12.2026 तक स्थगन (Abeyance) पर रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, इस अवधि के दौरान दिनांक 29.08.2018 तथा 10.08.2022 के दिशानिर्देश लागू रहेंगे।

(ग) एवं (घ): उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इन्हें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों को प्रेषित किया गया है। ये दिशानिर्देश नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सभी परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों पर समान रूप से लागू हैं। अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों/परिवेदनों का निस्तारण प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकरण-दर-प्रकरण किया जाता है।
